

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया  
पीठाधीन अधिकारी:- जय कौशिक आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या:- 373/2028

1. रामप्रताप पुत्र लाधुराम जाति मेघवाल निवासी बोलावाली तहसील संगरिया।
2. देवी लाल पुत्र लाधुराम जाति मेघवाल निवासी बोलावाली तहसील संगरिया।

वादी

बनाम

1. ज्ञानी देवी पत्नी लाधुराम जाति मेघवाल निवासी बोलावाली तहसील संगरिया।
2. धाया देवी पुत्री लाधुराम जाति मेघवाल नि. बोलावाली तहसील संगरिया।
3. पार्वती पुत्री लाधुराम जाति मेघवाल नि. बोलावाली तहसील संगरिया।
4. द्रोपती पुत्री लाधुराम जाति मेघवाल नि. बोलावाली तहसील संगरिया।
5. भतेरी पुत्री लाधुराम जाति मेघवाल निवासी बोलावाली तहसील संगरिया।
6. तहसीलदार राजरघु संगरिया।

प्रतिवादीगण

यह राजरघु मुकदमा आज मुझे जय कौशिक आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते  
इस किताब कतई रुबेस हमारे बहोजरी श्री नरेश मण्डा वकील वादी मिन जामिन मुदई  
संजय धारणिया वकील प्रतिवादी संख्या 1 तां 5 मिन जानिब मुदायला पेश होकर  
हुयम दिधा जाता है व खिद्री दी जाती है कि मृतक लाधुराम पुत्र लेखराम के नाम से  
तहसील संगरिया के चक 15 बी.जी.पी. खाता सं. 168/114 जमाबन्दी सम्बत् 2072-75  
में बर्ज भूमि में से वादी संख्या 1 की प.न. 171/154 मु.न. 65 किला नम्बर 7/0.253  
है 8/0.253 है 9/0.127 है किला नं. 2 के चिपते भूमि एवं वादी सं. 2 का प.न.  
171/154 मु.न. 65 किला नं. 9/0.128 है किला नं. 12 के चिपते, किला नं. 10/0.253  
है किला नं. 11/0.288 है भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित कर लाधुराम पुत्र  
लेखराम का कलमजम कर वादीगण का इसी अनुसार खाता अलग कायम किये जाने के  
आदेश दिये जाते हैं। तथा उक्त निर्णय बाबत यदि किसी न्यायालय में स्थगन आदेश  
आदि नहीं हों तो राजरघु रिकार्ड में इसका अंकन किया जावे।

नोट:- यदि प्रश्नगत भूमि बैक रहम ही तो रहम मुक्त होने के पश्चात् ही  
उक्तानुसार अमल बरामद किया जावे।

निज  नल  मुस्लिम  निल  बाबत  निल  खर्चा  
मुकदमे के मध्य शुद्ध वी शरह फीसबी सोलामा आज की तारीख वसूलयाबी तक   
अदा करें।

बसबस मैंने दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 30.01.2028 को जारी  
किया गया।

(जय कौशिक)

प्रमाणित प्रतिलिपि

महासदक कलक्टर एवं

सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी, संगरिया  
उपखण्ड अधिकारी  
संगरिया